न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1995–तीन/2002 विरूद्व आदेश दिनांक 26.2.2002 पारित द्वारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 45/2001–02 अपील

रामभजन पुत्र कुढेरी
ग्राम रसीलपुर तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ––––आवेदक

विरूद्व

मातादीन पुत्र मुरारीलाल शर्मा
ग्राम हुसैनपुर तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5–11–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 45/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.2.2002 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रसीलपुर के पटैी श्री लालाराम पुत्र धनपाल ब्राहमण की मृत्यु होने से पटैल पद रिक्त हुआ। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने रिक्त हुये पटैल पद की

पूर्ति हेतु प्रकरण क्रमांक 1/99-2000 अ-55 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक एंव अनावेदक की उम्मीदवारी में से मातादीन को चयनित कर आदेश दिनांक 27-4-2001 से पटैल पर नियुक्त किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 41/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2001 से अपील निरस्त की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 45/2001-02 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 26.2.2002 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सवलगढ़ व्दारा प्रस्तुत प्रमाणीकरण दि. 13-7-2000 से उजागर हुआ कि आवेदक ग्राम रसीलपुर का निवासी न होकर सवलगढ़ नगर का निवासी है, जिसके कारण वह ग्राम रसीलपुर के पटैल पद के निर्योग्य सावित हुआ है। मध्य प्रदेश भू राज. सं. 1959 की धारा 222 के नियम 2 (तीन) में प्रावधान है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पटैल पद के लिये पात्र नहीं है जो :-

(अ) जब पटैल की नियुक्ति किसी ऐसे ग्राम के लिये हो तो अधिवासित है, उसमें स्थायी रूप से नहीं रह रहा हो।
(आ) जब पटैल की नियुक्ति किसी ग्राम ग्राम के समूह के लिये हो, वह ऐसे ग्रामों से किसी ग्राम में नहीं रह रहा है।

आवेदक ग्राम रसीलपुर का निवासी न होकर नगर सवलगढ़ का निवासी है जिसके कारण पटैल पद के निर्योग्य होने से अनुविभागीय

अधिकारी सवलगढ़ ने पटेल पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के आदेश दिनांक 27.4.01, कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 9.10.2001 तथा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26.6.2002 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती पाये गये हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.2.2002 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर